न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 08/14/अपील

बालूराम पुत्र श्री मूलाराम उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र बालूराम दतक पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. महेन्द्र सिंह } पुत्रगण बालूराम
3. विजेन्द्र सिंह }
4. कमला देवी } पुत्रियां बालूराम
5. बबीतादेवी }

   समस्त जाति जाट निवासीगण गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. ग्राम पंचायत, मण्ढा—मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. पटवारी, पटवार हल्का, मण्ढा—मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
8. उप पंजीयक, पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पो.

अपील ना.करण सं 700 दि0 20.01.2014 बतस्दीक ग्राम पंचायत, मण्ढा(मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

निर्णय दिनांक— 24.11.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 605 रकबा 0.72 है0, 606 रकबा 2.33 है0, 607 रकबा 0.36 है0, 610 रकबा 1.61 है0, 611 रकबा 0.88 है0, 612 रकबा 1.84 है0 किता 6 कुल रकबा 7.14 है0 तन ग्राम गोरधनपुरा प.मण्डल मण्ढा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में हि. 1/3 अवस्थित है जो कि अपीलांट की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनकी पूर्व में खातेदारी अपीलांट की पत्नी फूलीदेवी के नाम दर्ज थी। अपीलांट की पत्नी की मृत्यु के पश्चात् विरासत का ना.करण सं. 700 दिनांक 20.01.2014 को ग्राम पंचायत, मण्ढा मदनी द्वारा भरा गया। उपरोक्त भूमियों में फूलीदेवी का विरासत का ना.करण भरते समय फूलीदेवी के सही विधिक वारिसानों की जांच नहीं की गई ताि गलत रूप से रेस्पो. सं. 1 ता 5 के नाम ना.करण भरा गया और अपीलांट का नाम ना.करण में नहीं दर्शाया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। फूलीदेवी के वैध वारिस निम्नानुसार बनते है।

फूलीदेवी पत्नी बालूराम
↓
बलूराम महेन्द्रसिंह मुकेशकुमार विजेन्द्रसिंह कमला बबीता
पति पुत्र पुत्र—गोद गया पुत्र पुत्री पुत्री
↓
सुमित्रादेवी बेवा बाबूलाल

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

उपरोक्त वर्णित भूमियों का विरासत का ना.करण फूलीदेवी के वारिसों अनुसार अपीलंट व रेस्पो. सं. 2 ता 5 के हिस्से 1/5, 1/5 संपूर्ण 1/15, 1/15 हिस्सेनुसार भरा जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत, मण्ढा–मदनी ने कतई गलत रूप से अपीलांट को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही ना.करा भरते समय अपीलांट कानाम ना.करण में दर्ज नहीं किया जबकि गोद गये हुए पुत्र मुकेश कुमार का नाम ना.करण में गलत रूप से दर्शा रखा है। इसलिए उक्त विरासत का भरा गया ना.करण इन कारणों से सर्वथा अवैध, शून्य व प्रभावहीन है क्योंकि उपरोक्त ना.करण भरते समय सभी विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई तथा न ही सभी विधिक वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया तथा ना.करण गुपचुप तरीके से तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट मृतका फूलीदेवी का पति है जो मृतका का प्रथम श्रेणी का वारिस है जिसका नाम ना.करण में दर्ज किया जाना आवश्यक था जिसका नाम ना.करण में नहीं भरा गया। रेस्पो. सं. 1 मुकेश कुमार जिसको सुमित्रा देवी बेवा बाबूलाल ने बचपन से ही दतक पुत्र के रूप में गोद ले रखा है उसका भी फूलीदेवी की विरासत के ना.करण में नाम दर्ज कर रखा है उसको हजफ किया जाना भी आवश्यक व न्यायोचित है। उपरोक्त ना.करण तस्दीक करते समय न तो कोई कब्जे संबंधी जांच की गई और न ही रिकार्ड संबंधी जांच की गई है तथा एक वैध वारिस (अपीलांट) का नाम छोड़ा गया है तथा दतक गोद गये हुए पुत्र (रेस्पो. सं. 1) का नाम ना.करण में दर्ज किया गया हे इस प्रकार उक्त ना.करा कतई गलत रूप से तस्दीक किया गया है। उपरोक्त ना.करण तस्दीक करते समय लैण्ड रिकार्ड रूल्स की कोई पालना नहीं की गई इसलिए ना.करण विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध तस्दीक किया हुआ होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमियों से अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण द्वारा उक्त भूमयों में से नाम हटाकर अपीलांट को बेदखल करने की धमकियां देने पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमियों की रिकार्ड की जानकारी लेने व ना.करण की नकल निकलवाने पर दिनांक 24.02.2014 को उक्त गलत व अवैध ना.करण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही यथाशीघ्र अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। रेस्पो. सं. 1 ता 5 रेस्पो. सं. 6 ता 9 से साज कर वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट का नाम न दर्ज होने की आड़ में अपीलांट को उसके हक अधिकारों की भूमि से बेदखल करने की कुचेष्टा में है अगर रेस्पो. अपने कुउद्देश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांट के वैध हक व अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कतई संभव नहीं हो सकेगी इसलिए रेस्पो. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावं कि अपीलांट के हक अधिकारों की आराजियात को रहन, बेचान या हस्तांतरण करने व अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी भी तरह की दखलंदाजी करने से स्वयं, मय परिवार नौकर एजेंट आदि बाज रहे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 700 दिनांक 20.01.2014 द्वारा ग्राम पंचायत, मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ को निरस्त फरमाया जावें। अपील के साथ नकल ना.करण सं. 700, नकल जमाबंदी व नकल गोदनामा की प्रतियां पेश की गई।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 6 ता 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1, 3 ता 5 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या हाजिर हुए व बिन्दुवार इकबालिया जवाब दिया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने में कोई आपति एवं एतराज नहीं है। व रेस्पो. सं. 2 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह रिणवां उपस्थित हुए एंव विधिक आपतियां एवं

जवाब अपील पेश कर निवेदन किया कि फूलीदेवी का बालूराम पति है जो विधिक वारिस नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमानुसार सही जांच कर ही ना.करण भरा गया है। जब अपीलांट मृतक फुलीदेवी का वारिस ही नहीं है तो ना.करण में नाम दर्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ना.करण सभी विधिक वारिसान की जांच कर संपूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए सही भरा गया है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही कर मजमा–ए–आम में सर्वसम्मति से भरा गया है जो सही है। ना.करण तस्दीक करते समय विधिवत रूप से रिकार्ड रूल्स की पालना कर ही तस्दीक किया गया है एवं विधि अनुसार संपूर्ण प्रकिया अपनाकर तस्दीक किया गया है जो सही है। अपीलांट को शुरू से ही ना.करण की जानकारी थी स्वयं अपीलांट की मौखिक सहमति से ही ना.करण तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

3. बहस वकील उभय पत्र सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 700 दिनांक 20.01.2014 बतस्दीक ग्राम पंचायत, मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ को खारिज किया जाने को निवेदन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 के नियमों की प्रति पेश की गई। वकील रेस्पो. सं. 1 व 3 ता 5 ने बहस के दौरान अपील आपतियां पेश नहीं कर अपील मेमा के तथ्यों को स्वीकार किया गया। रेस्पो. सं. 2 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह रिणवां ने बहस के दौरान अपील आपतियां के आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फूलीदेवी का बालूराम पति है जो विधिक वारिस नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमानुसार सही जांच कर ही ना.करण भरा गया है। जब अपीलांट मृतक फुलीदेवी का वारिस ही नहीं है तो ना.करण में नाम दर्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ना.करण सभी विधिक वारिसान की जांच कर संपूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए सही भरा गया है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही कर मजमा–ए–आम में सर्वसम्मति से भरा गया है जो सही है। ना.करण तस्दीक करते समय विधिवत रूप से रिकार्ड रूल्स की पालना कर ही तस्दीक किया गया है एवं विधि अनुसार संपूर्ण प्रकिया अपनाकर तस्दीक किया गया है जो सही है। अपीलांट को शुरू से ही ना.करण की जानकारी थी स्वयं अपीलांट की मौखिक सहमति से ही ना.करण तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील मेमो का मुख्य विवाद अपीलांट को मृतक फूलीदेवी का विधिक वारिस नहीं मानकर अन्य वारिसान पुत्र/पुत्रियों के नाम ना.करण सं. 700 तस्दीक किया गया है एवं मुकेश कुमार दतक पुत्र होते हुए भी उनके नाम भी वारिस मानते हुए ना.करण में नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मुकेश कुमार सुमित्रादेवी के गोद पुत्र है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड गोदनामा व जमाबंदी में रिकार्डेड खातेदार होने से मुकेश कुमार का नाम ना.करण में नहीं आना चाहिए था। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी की मृत्यु पर पुत्र–पुत्री के साथ पति प्रथम श्रेणी का वारिस माना गया है इसलिए पति पत्नी का वारिस है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 700 दिनांक 20.01.2014 द्वारा ग्राम पंचायत, मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतका के वारिसान के नाम विधि अनुसार ना.करण भरवाकर तस्दीक करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्याया में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ